सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 38बी/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. ओमप्रकाश पुत्र पोलू जाट
2. सुखलाल पुत्र पोलू जाट
3. फूला पुत्री पोलू जाट
4. लाडां पुत्री पोलू जाट
5. भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाट
6. श्रीमति गीता देवी पत्नि भंवरलाल जाट

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार भू.अभिलेख केकडी जिला अजमेर
2. रामनारायण पुत्र हरजी धाकड
3. श्योजी पुत्र रंगलाल धाकड
   जाति धाकड निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–25.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कणोज में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि **वाके ग्राम काबरिया तहसील केकडी जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 117 के खसरा नम्बर 258, 264, 265 कुल किता 3 कुल रकबा 5.08 हैक्ट.** भूमि वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार एवं कब्जे काश्त भूमि दर्ज है एवं कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात का सीमा विवाद होने की संभावना बनी रहती है। वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट कणोज में पेश हुई । वादीगण /प्रतिवादीगण उपस्थित।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण ी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का **वाके ग्राम काबरिया तहसील केकडी जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 117 के खसरा नम्बर 258, 264, 265 कुल किता 3 कुल रकबा 5.08 हैक्ट.** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 .6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी